भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4245

(19 **अगस्त**, 2025 **को उत्तर दिए जाने के लिए**)

न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि

4245. **श्री सेल्वाराज वी.:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारण संबंधी विशेषज्ञ समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी दर को वित्तीय वर्ष 2024 में 267 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 375 रुपये प्रतिदिन करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। यह ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा, अर्थात बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने पर आजीविका के लिए विकल्प प्रदान करती है।

महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों की मजदूरी दर के निर्धारण के संबंध में , उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) , 2005 की धारा 6(1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अपने लाभार्थियों के लिए मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार , वित्त वर्ष 2011-12 से भारत सरकार कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) का उपयोग करके महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों की मजदूरी दरों का निर्धारण कर रही है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई -एएल) में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरी दर में संशोधन करता है। श्रम ब्यूरो , शिमला द्वारा अधिसूचित, यह सूचकांक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अलग-अलग है। यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की वर्तमान वर्ष के सूचकांक के अनुसार गणना की गई मजदूरी दर पिछले वर्ष की मजदूरी दर से कम है , तो पिछले वर्ष की मजदूरी दर को बनाए रखकर उसे संरक्षित किया जा रहा है। संशोधित मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू होती है। हालाँकि, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकता है।

उपरोक्त पद्धति का उपयोग करते हुए , केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित मजदूरी दर को संशोधित किया है , जो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में लगभग 5% (औसत) अधिक है।